जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 15.10.2024**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम होशंगपुर में वृद्ध व्यक्ति की गैरइरादतन हत्या के मामले मे वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

दिनांक 14.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम होशंगपुर में वृद्ध व्यक्ति की गैरइरादतन हत्या के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने मं‍ें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.10.2024 को श्री राकेश पुत्र रगबीर निवासी ग्राम होशंगपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के पुत्र अंकुर को अभियुक्त प्रमेन्द्र द्वारा मोटर साईकिल खडी करने के लिये बुलाया गया था मोटर साईकिल खड़ी करते समय मोटर साईकिल की डिग्गी टूट जाने से अंकुर व प्रमेन्द्र में कहा सुनी हो गयी थी तत्पश्चात दिनाँक 14.10.2024 को अभियुक्त प्रमेन्द्र द्वारा अपने रिश्तेदार सुनील व 02 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात को बुलाकर घर में घुसकर श्री राकेश के पिता रगबीर व पुत्र रोहित, अंकुर व सनी पर अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। जिसमे श्री रगबीर की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। घटना के सम्बन्ध में श्री राकेश द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.प्रमेन्द्र उर्फ प्रमिन्द्रर पुत्र सुखबीर उर्फ सुखबीरा निवासी ग्राम होशंगपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.सुशील पुत्र रिषिपाल निवासी ग्राम कैल सिकारपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2-का0 शान्तनु यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 15.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शौराज उर्फ बबली पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम आदमपुर थाना भौरांकला जनपद मुजफ्फरनगर।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 496 ग्राम चरस बरामदः-

आज दिनांक 15.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रांमसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से अवैध 496 ग्राम चरस बरामद हुयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.संजय पुत्र इलमचन्द निवासी मौहल्ला खैल निकट डाकघर कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 496 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुनील सिंह वर्मा थाना बाबरी जनपद शामली।

1.उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर शर्मा थाना बाबरी जनपद शामली।

2.है0का0 संदीप कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

3.का0 सचिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडा भाऊ में गौकशी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 02 तमंचे मय 04 जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साईकिल व घटना में प्रयुक्त पशु कटान के उपकरण बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 02.10.2024 को स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडा भाऊ निवासी राधेश्याम पुत्र ओमपाल के आम के बाग में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौकशी की गई । जिसके अवशेष बाग में पडे है । थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । जहां पर अवशेष मौजूद थे, मिले अवशेष को एकत्रित कर पुश चिकित्साधिकारी को परीक्षण हेतु भेजा गया था । रिपोर्ट परीक्षण उपरान्त गौवंश का होना पाया गया । जिससे सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गाया था ।

आज दिनांक 15.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे पशुओं की तस्करी एवं गोकशी की घटनाओं की रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडा भाऊ में गोकशी करने वाले 03 अभियुक्त को ग्राम ढिढाली रजवाहा पटरी पर के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से अवैध 02 तमंचे मय 04 जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साईकिल व घटना में प्रयुक्त गोकशी के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना झिंझाना आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हमारे पास खाने कमाने का कोई रोजगार नही है । इसलिये हम लोग अपना व परिवार का खर्च चलाने के लिये अपने आस-पास के क्षेत्र तथा हरियाणा प्रान्त से सस्ते दामों में या जंगलों में से खुले घुमते हुए गोवंश को परिवहन करके ले आते है और उनका वध करके, अवैध तरीके से उनके मांस को अच्छे दामों में बेच देते हैं । जिससे हमारा और परिवार का खर्चा चलता है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.तालिब पुत्र महराज निवासी ग्राम अम्बेहटा रिदान थाना झिझाना जनपद शामली ।

2.गुलजार पुत्र शकूर निवासी ग्राम अम्बेहटा रिदान थाना झिझाना जनपद शामली ।

3.इस्लाम पुत्र लालू निवासी ग्राम अम्बेहटा रिदान थाना झिझाना जनपद शामली ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त तालिब उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 414/24 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2.मु0अ0सं0 45/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3.मु0अ0सं0 52/18 धारा 376/506 भादवि व ¾ पोस्को अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलजार उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 414/24 धारा 3/5क/8 गौवध अधि. थाना झिझाना जनपद शामली

2.मु0अ0सं0 45/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि. थाना झिझाना जनपद शामली ।

2.मु0अ0सं0 114/06 धारा 379/411 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

3.मु0अ0सं0 184/06 धारा 379/411 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

4.मु0अ0सं0 186/06 धारा 379/411 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

5.मु0अ0सं0 188/06 धारा 379/411 भादवि थाना नानौता जनपद सहानपुर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इस्लाम उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 414/24 धारा 3/5क/8 गौवध अधि. थाना झिझाना जनपद शामली ।

2.मु0अ0सं0 65/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधि. व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकलि स्पैलेण्डर ।

2.पशु कटान में प्रयुक्त उपकरण 01 कुल्हाडी, 01 दाव, 02 छुरे ।

3.एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभि0 तालिब से)

4.एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभि0 गुलजार से)

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा गाली गलौज, मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 14.10.2024 को वादिया रिया चौधरी पुत्री अमित निर्वाल निवासी मौहल्ला रेलपार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली ने अपने चाचा कपिल पुत्र ओमपाल पर गाली गलौच व मारपीट व अपने पिता अमित पर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा गाली गलौज, मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कपिल पुत्र ओमपाल निवासी मौहल्ला रेलपार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त एक चाकू।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 184/2024 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.का0 अक्षय मावी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.कां0 विजयपाल थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।